फैक्सः– 0522–4045094

उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद

(ग्राम्य विकास विभाग)

सी–8/270, विनीत खण्ड, निकट सेन्ट्रल बैंक, गोमती नगर, लखनऊ–226 010

पत्र संख्याः 159 /ग्रा0आ0परि0–212 दिनांक– 03-11-2017

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

विषयः–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण हेतु हडको ऋण की प्रथम किश्त में प्राप्त धनराशि रू0 1394.00 करोड़ को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, उ0प्र0 लखनऊ के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ट्रांसफर किये जाने की सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1469/38–4–17–49 (विविध)/2017 टी0सी0–1 ग्राम्य विकास अनुभाग–4, लखनऊ दिनांकः 31 अक्टूबर, 2017 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र संख्या–1176/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0आ0यो0–ग्रा0/2017 दिनाँक 02 नवम्बर, 2017 के अनुपालन में हडको ऋण की प्रथम किश्त में प्राप्त धनराशि रू0 1394.00 करोड़ को परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के निम्न खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनाँक 03.11.2017 को प्रातः 11:00 बजे ट्रांसफर कर दिया गया है:–

1. खातेदार का नाम : प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, उ0प्र0 लखनऊ
2. बैंक का नाम : इलाहाबाद बैंक
3. बैंक शाखा का पता : हजरतगंज, लखनऊ
4. बैंक खाता संख्या : 50352149914
5. आई0एफ0एस0सी0 कोड : ALLA0210062

कृपया उक्त से अवगत होने की कृपा करें।

भवदीय

(सहदेव) 3.11.2017
ग्रामीण आवास आयुक्त

पृष्ठांकन संख्या : 159 /उपरोक्तानुसार/तद्दिनाँक :
प्रतिलिपि–प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–4 के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(सहदेव)
ग्रामीण आवास आयुक्त

14/11/17 Entry Now

फैक्स— 0522—4045094

8298/ V-18/17

19/12/17

उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद

(ग्राम्य विकास विभाग)

A314/J.d.17
19/12/17

सी—6/270, विनीत खण्ड, निकट सेन्ट्रल बैंक, गोमती नगर, लखनऊ—226 010

पत्र संख्या: 186 /ग्रा0आ0परि0— 212

दिनांक— 18/12/2017

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अन्तर्गत हडको ऋण की द्वितीय किश्त की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—2153/वि0का0/प्र0म0आ0यो0—ग्रा0—2017 दिनांक : 24 नवम्बर, 2017 का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके द्वारा हडको ऋण की द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 868,81,53,400.00 उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी।

उक्त अपेक्षा के क्रम में अवगत कराना है कि हडको द्वारा द्वितीय किश्त की अपेक्षित धनराशि रू0 868,81,53,400.00 उपलब्ध न कराकर उक्त धनराशि में से दिनांक 18.12.2017 से 31.12.2017 (14 दिन) तक का ब्याज रू0 2,86,59,004.00 की कटौती करते हुये रू0 865,94,94,396.00 की धनराशि परिषद को आज दिनांक 18.12.2017 को उपलब्ध करायी गयी है।

परिषद द्वारा हडको से प्राप्त उक्त धनराशि रू0 865,94,94,396.00 को आज दिनांक 18.12.2017 को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उ0प्र0 के बचत खाता संख्या—50352149914 में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गयी है।

कृपया उक्त से अवगत होने की कृपा करें।

वि0 अधि0
19/12/17
(वी0 के गुप्ता)
संयुक्त आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

(हस्ताक्षर) 18/12/17
(विजेन्द्र कुमार)
संयुक्त आवास आयुक्त

पृष्ठांकन संख्या /उपरोक्तानुसार/तद्‌दिनांक :

प्रतिलिपिः— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, अनुभाग—4, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।

(विजेन्द्र कुमार)
संयुक्त आवास आयुक्त

Scanned by CamScanner

Annexure IV
Uttar Pradesh

PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA-GRAMIN (PMAY-G)
CONSOLIDATED UTILIZATION CERTIFICATE (HOUSING)
UTILIZATION CERTIFICATES FOR THE FINANCIAL **YEAR 2017-18**

1- Certificate that a sum of Rs 678879.381 lakh (Six thousand seven hundred eighty-eight crores seventy-nine lakhs thirty-eight thousand one hundred only) was received by Uttar Prasesh (Name of State) as Grants- in Aid during the year 2017-18 as per details given below, from the centre Rs 391740.033 lakh (Three thousand nine hundred seventeen crores forty lakhs three thousand three hundred only) and Rs, 287139.348 lakhs (Two thousand eight hundred seventy one crore thirty-nine lakhs thirty four thousand and eight hundred only) from State Government. Further, a sum of Rs **222241.428** lakh (Two thousand two hundred twenty two crore forty one lakhs forty two thousand eight hundred only) being the unspent balance of the previous year 2016-17 was allowed to be brought forward for utilization during the current year. The Misc receipts of the Agency during the year was Rs 23971.692 lakhs (Two hundred thirty nine crore seventy-one lakh sixty nine thousand two hundred only)

I- unspent balance from previous year (2016-17) -**222241.428**

1-Funds lying in State Nodal account (SNA) Rs- -----------

II- Funds of the previous year -2016-17 received during this year 2017-18 Rs- 461962.139 lakhs

Letter No./Date	Central Govt	State Govt	Total
J-12036/02/2016-RH(A/C))-1/A-Uttar Pradesh 27-04-17	30480.948		
J-12036/02/2016-RH(A/C))-1/B-Uttar Pradesh 27-04-17	880.741		
22/2017/898/38-4 dated 08-08-2017 (83) Total	31361.689	20907.793	52269.482
21/2017/285/38-4-17-18(Budget)/2015 (83) 20.7.2017		2200.983	2200.983
J-12036/02/2016-RH(A/C))-1-Uttar Pradesh 27-04-17	20907.792		
16/2017/602/38-4 dated 29-06-17	20907.792	5343.864	26251.656
09/2017/284/38-4-17-18(Budget)/2015 (13) 3.5.2017		24097.104	24097.104
23/2017/899/38-4-17-18(Budget)/2015 (13) 8.8.2017		8594.664	8594.664
J-12036/02/2016-RH(A/C))-2/A-Uttar Pradesh 18-09-17	121967.819		
J-12036/02/2016-RH(A/C))-2/B-Uttar Pradesh 18-09-17	3443.763		
Number dated	125411.582	83600.00	209011.582
J-12036/02/2016-RH(A/C))-2-Uttar Pradesh 18-09-17	83736.668		
Number dated	83736.668	55800.00	139536.668
Total	**261417.731**	**200544.408**	**461962.139**

III- Grants received during the year- 2017-18 Rs. **216917.242** lakhs

Letter No./Date	Central Govt	State Govt	Total
J-12036/02/2017-RH(A/C))-3-Uttar Pradesh 21-11-17	58890.790		
Letter Number-186/GAP-212 dated 18-12-2017 (13)	58890.790	39260.527	98151.317
J-12036/02/2016-RH(A/C))-3A-Uttar Pradesh 21-11-17	71431.512		
Letter Number-186/GAP-212 dated 18-12-2017 (83)	71431.512	47334.413	118765.925
Total	**130322.302**	**86594.940**	**216917.242**
Grand Total	**391740.033**	**287139.348**	**678879.381**

संख्या-09/2017/284/38-4-17-13(छत्तीस)/2015-टीसी

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 03 मई, 2017

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष मैचिंग राज्यांश की धनराशि की वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक से स्वीकृति के संबंध में (अनुदान संख्या-13)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-246/सम्प्रेक्षा/ सम्प्रेक्षा /प्र0मं0आ0यो0/2016-17 दिनांक-13 अप्रैल,2017 कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अवमुक्त प्रथम किश्त की केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष सामान्य मद (अनुदान संख्या-13) में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 26315.815 लाख के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष मैचिंग राज्यांश चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि से लेखानुदान अवधि में स्वीकृत योग्य धनराशि में से अवशेष मैचिंग राज्यांश रू0 26315.815 लाख (रुपया दो अरब तिरसठ करोड़ पन्द्रह लाख इक्यासी हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी भी दशा में पी0एल0ए0/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा। तथा प्रश्नगत धनराशि का संचालन/व्यय आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के प्राविधानों के तहत वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-21-03-2012 में निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार कार्यवाही/व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा धनराशि आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जायेगी।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को नये प्रधानमंत्री आवासों/कच्चे आवासों को पक्का आवासों में उच्चीकृत/निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।

(4)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017 /बी-1-02/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में निहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबन्धों एवं योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा प्रशासनिक मद की धनराशि का व्यय केवल प्राविधानित प्रशासनिक मदों के अन्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं निर्माण कार्य व प्रशासनिक मद की धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र पृथक-पृथक उपलब्ध कराये जायेंगे।

(6)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

(नीमा शर्मा)
आयुक्त
ग्राम्य विकास उ0प्र0

(8)- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को नये प्रधानमंत्री आवासों/कच्चे आवासों को पक्का आवासों के उच्चीकरण/ निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(9)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(10)-इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसी वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

(11)-इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फांट (प्रशासनिक मद एवं निर्माण कार्य का पृथक-पृथक) सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जाय, ताकि जिलाधिकारी द्वारा केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश का आहरण कर सकें।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-2-319/दस-17, दिनांक 28.04.2017 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या- (29) /2017/284(1)/38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-श्री समीर वर्मा, निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3-अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0 स0) अनुभाग।
8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
9-बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
10-ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

IV. Misc receipts of Agency, if any : 23971.692
V. Interest receipts : 3255.451
VI. Total Funds Available : 928347.952
VII. Total Expenditure incurred : 874196.470
VIII. Closing Balance : 54151.482

2- It is certified that out of the above mentioned Total funds of Rs 928347.952 lakh (Nine Thousand two Hundred, eighty three crore forty-seven lakh ninty five thousand two hundred only) available with the State sum of Rs 874196.470 lakh (Rupees Eight thousand seven hundred forty one crore ninety six lakhs forty seven thousand only) has been utilized by State the year for the purpose for which it was sanctioned. It is further satisfied that the unspent balance of Rs 54151.482 lakh (rupess Five hundred forty one crore fifty one lakh forty eight thousand two hundred only) remaining would be utilized for the programme in this year itself.

3. Certified that I have satisfied myself that the condition on which grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money has been actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

4- The utilization of the aforesaid fund resulted into following:-

(i). Outcomes:
(ii). target fixed during the year 396594
(iii). number of Houses constructed /Completed 314629 (sanction)
(iv). number of Houses yet to be taken up 5458

b- Physical outcomes (Number of houses allotted to) :

Category	Female	Joint	Male	Total
SC				151315
ST				4342
Minority				39112
PH				208
others				119652
Total	91902	105063	117664	314629

Kinds of check exercised

(i) The Statement of accounts for he year 2016-17duly audited by the Charted Accountant have been obtained and sanctioned.

(ii) The Payment has been made to the beneficiaries to his/her registered bank/ core banking enable post office accounts through digitally FTO.

Encl: copies of sanction order of the State share issued by the State Govt.

Signature-------------------------------
(full name with official seal)
Authorized signatory of State Government

Date:---------------------

(सुश्री पर्व ... [illegible] /2017)
5-12-2017

संख्या-36/2017/1695/38-4-17-19(बजट)/2015

प्रेषक,

प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग ... [illegible] 05 DEC 2017

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 05 दिसम्बर, 2017

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश की प्रथम किस्त की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में (अनुदान संख्या-83)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1253/सम्प्रेक्षा/प्र0म0आ0यो0-ग्रा0/2017-18 दिनांक- 22.11.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या J-12038/02/2016-RH(A/C)-3/A-Uttar Pradesh दिनांक 21.11.2017 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्ष्यों के सापेक्ष एस0सी0पी0 मद (अनुदान संख्या-83) में अवमुक्त प्रथम किस्त के केन्द्रांश की धनराशि रू0 21491.512 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 बजट में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2017-18 के आवासों के निर्माण हेतु एस0सी0पी0 मद में प्रथम किस्त की प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 21491.512 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग के आदेश संलग्नक बी0एम0-9 प्रपत्र दिनांक 05.12.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में सर्फेस सोर्स आधारित ग्रामीण पेयजल योजना में वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि रू0 58800.00 लाख (रूपये पांच सौ अट्ठासी करोड़) पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को सम्मिलित रूप से लक्ष्य दिया जाता है तथा अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जनजाति की स्वीकृति जारी करने के उपरान्त, बाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के द्वारा आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017 /बी-1-1390/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबन्धों एवं योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को योजना के नये आवासों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का समर्पण/व्यय आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देश के प्राविधानों के तहत तथा धनराशि को आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जाये।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जाय, परन्तु धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा जब कि प्रश्नगत कार्य/मद में पूर्व में निर्गत/व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष पूर्ण कार्यों की गुणवत्ता का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

[illegible] ...anudan-83

4

(7) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रावधानों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(9) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का अवमुक्ति कोष सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)(के.60/रा.40-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- B/2017 /बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या- 36 /2017/ 1645(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-श्री समीर शर्मा, निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3-अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के० स०) अनुभाग।
8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4।
9-बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
10-ग्राम्य विकास अनुभाग-3/5/विशेष कार्याधिकारी (बजट प्रकोष्ठ), ग्राम्य विकास विभाग, उ० प्र० शासन।
11-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या- 23 /2017/899/38-4-17-18(बजट)/2015

प्रेषक,

सहदेव,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 08 अगस्त, 2017

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष मैचिंग राज्यांश(के0-60:रा0-40) वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक से स्वीकृति के संबंध में (अनुदान संख्या-13)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-802/समीक्षा/प्र0आ0यो0-ग्रा0/2017-18 दिनांक- 28.07.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-16/2017/602/38-4-17-18 (बजट)/2015, दिनांक 29.06.2017 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आवासों के निर्माण हेतु सामान्य मद (अनुदान संख्या-13) में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 22998.571 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रू0 5343.864 लाख (5 माह के लेखानुदान में बजट की उपलब्धता न होने के कारण मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 9988.517 लाख कम करते हुए) कुल रू0 28342.435 की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2- उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2016-17 के आवासों के निर्माण हेतु प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उक्त अवशेष मैचिंग राज्यांश चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि से रू0 9988.517 लाख (रूपया निन्यानबे करोड़ अट्ठासी लाख इक्यावन हजार सात सौ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी भी दशा में पी0एल0ए0/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा। तथा प्रश्नगत धनराशि का संग्रहण/व्यय आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देश के प्राविधानों के तहत वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-21-03-2012 में निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार कार्यवाही/व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा धनराशि आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को योजना के नये आवासों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017 /बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबन्धों एवं योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा प्रशासनिक मद की धनराशि का व्यय केवल प्राविधानित प्रशासनिक मदों के अन्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं निर्माण कार्यों व प्रशासनिक मद की धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र पृथक-पृथक उपलब्ध कराये जायेंगे।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी०एफ०एम०एस० खाते में रखी जाय, परन्तु धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब कि प्रश्नगत कार्य/मद में पूर्व में निर्गत/व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों की गुणवत्ता का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को योजना के नये आवासों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(10) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(11) इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फाँट (प्रशासनिक मद एवं निर्माण कार्य का पृथक-पृथक) सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जाय, ताकि जिलाधिकारी पास केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश का आहरण कर सके।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के.60/रा.40-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017 /बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महदेव) [signature, dated] 2017

विशेष सचिव।

संख्या- 23 /2017/899 (1)/38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3-अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के० स०) अनुभाग।
8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
9-विशेष कार्याधिकारी बजट प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
10-गार्डबुक।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी०एफ०एम०एस० खाते में रखी जाय, परन्तु धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब कि प्रश्नगत कार्य/मद में पूर्व में निर्गत/व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यो की गुणवत्ता का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(9) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट (प्रशासनिक मद एवं निर्माण कार्य का पृथक-पृथक) सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जाय ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश का आहरण कर सकें।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)(के.60/रा.40-कें.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017 /बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सहदेव) 8.8.2017

विशेष सचिव।

संख्या 22 /2017/898(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-श्री समीर वर्मा, निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

3-अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

4-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6-सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के० स०) अनुभाग।

8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4

9-बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

10-ग्राम्य विकास अनुभाग-3/विशेष कार्याधिकारी (बजट प्रकोष्ठ), ग्राम्य विकास विभाग, उ० प्र० शासन।

11-गार्डबुक।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

so pmyg

संख्या-2 /2017/898/38-4-17-19(बजट)/2015

प्रेषक,

राहुदेव,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 09 अगस्त, 2017

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 हेतु प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश(के0-60:रा0-40) सहित धनराशि की वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक से स्वीकृति के संबंध में (अनुदान संख्या-83)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-430/समन्वेक्षा/प्र0आ0यो0/2017-18 दिनांक- 23.05.2017 एवं 803/समन्वेक्षा/प्र0आ0यो0/2017-18 दिनांक- 28.07.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार के पत्र संख्या जे-12036/02/2016-आरएच(ए/सी)-I/ए-यूपी, दिनांक 27.04.2016 एवं पत्र संख्या-जे-12036/02/2016-आरएच(ए/सी)-I/बी-यूपी दिनांक 27.04.2016 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 मद (अनुदान संख्या-83) में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 31361.689 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रू0 20907.793 लाख अर्थात् कुल रू0 52269.482 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (के0-60:रा0-40) सम्मिलित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि से केन्द्रांश की धनराशि रू0 31361.689 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रू0 20907.793 लाख अर्थात कुल रू0 52269.482 लाख (रूपया पांच अरब बाईस करोड़ उनहत्तर लाख अड़तालीस हजार दो सौ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सम्मिलित रूप से टारगेट देखा जाता है तथा अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जनजाति की स्वीकृति जारी करने के उपरान्त, बाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के द्वारा आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017 /बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबन्धों एवं योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को योजना के नये आवासों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का संग्रहण/व्यय आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देश के प्राविधानों के तहत तथा धनराशि को आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जाये।

sd pmyg

संख्या- 37/2017/1733 /38-4-17-19(बजट)/2015

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2017-18 के लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में (अनुदान संख्या-83)।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-36/2017/1605/38-4-17-19(बजट)/2015 दिनांक-05.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्ष्यों के सापेक्ष एस0सी0पी0 मद (अनुदान संख्या-83) में अवमुक्त प्रथम किश्त के केन्द्रांश की धनराशि रू0 71431.512 लाख के सापेक्ष आपके प्रस्ताव दिनांक 22.11.2017 के क्रम में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 58800.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 बजट में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2017-18 के आवासों के निर्माण हेतु एस0सी0पी0 मद में प्रथम किश्त की प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 71431.512 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग के आदेश संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र दिनांक 13.12.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि रू0 4255.00 लाख (रूपये बयालीस करोड़ पचपन लाख मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सम्मिलित रूप से टारगेट देखा जाता है तथा अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जनजाति की स्वीकृति जारी करने के उपरान्त, बाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के द्वारा आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017 /बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबन्धों एवं योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को योजना के नये आवासों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत धनराशि का संग्रहण/व्यय आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देश के प्राविधानों के तहत तथा धनराशि को आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जाये।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जाय, परन्तु धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब कि प्रश्नगत कार्य/मद में पूर्व में निर्गत/व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों की गुणवत्ता का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

\\ASO FOLDER PMAY GUGO IN MANGAL FONT

(7) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(9) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फीड सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)(के.60/रा.40-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017 /बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-: यथोक्त।

भवदीय,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या-37/2017/1233(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-श्री समीर वर्मा, निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3-अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग 2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0 स0) अनुभाग।
8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
9-बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
10-ग्राम्य विकास अनुभाग-3/9/विशेष कार्याधिकारी (बजट प्रकोष्ठ), ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
11-गार्डबुक।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।